सं0सं0–18(प्रो0को0)/सू0–01–10/2015– 1299(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 20/ 11 /2017

विषयः– **डा0 धीरेन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत्त अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/–रूपये में दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.01.1996 से 28.02.1998 तक 01 (एक) छाया पद एवं वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में दिनांक–01.03.1998 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.03.1998 से 31.01.2000 (सेवानिवृत्ति) तक 01 (एक) छाया पद सृजन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

डा0 धीरेन्द्र नाथ झा, वरीयता क्रमांक–1238/टी0, सेवानिवृत्त अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना द्वारा कनीय को प्रदान की गयी प्रोन्नति के आधार पर आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 14300–18300/–रूपये में प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। विभागीय भूल के कारण डा0 झा को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/–रूपये एवं वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया, परन्तु उनसे कनीय डा0 कृष्ण बल्लभ यादव को उक्त दोनों वेतनमान् अनुमान्य किया गया है।

2– डा0 धीरेन्द्र नाथ झा को विभागीय अधिसूचना सं0–225(4) दिनांक–25.03.98 द्वारा वरीय प्रवर कोटि ($12^1/_2$ %) में 01.04.1989 से तथा विभागीय अधिसूचना सं0–408(4) दिनांक–18.07.1998 द्वारा सुपर टाईम स्केल ($2^1/_2$ %) में दिनांक–01.02.1997 से प्रोन्नति प्रदान किया गया है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–660(वि0) दिनांक–08.02.1999 द्वारा प्रवर कोटि/सुपर टाईम स्केल प्रोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर दिये जाने के कारण डा0 झा को 01.02.1997 से सुपर टाईम स्केल में दी गयी प्रोन्नति स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है।

3– प्रवर कोटि/सुपर टाईम स्केल प्रोन्नति की व्यवस्था समाप्त हो जाने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक–966(3) दिनांक–19.07.2004 द्वारा दिनांक–01.01.1996 से आवश्यकता आधारित पद चिन्हित किया गया।

4– स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0–29(3) दिनांक–02.02.2005 द्वारा डा0 धीरेन्द्र नाथ झा, वरीयता क्रमांक–1238/टी0, से कनीय डा0 कृष्ण बल्लभ यादव, वरीयता क्रमांक–1239/टी0 को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/– रूपये में दिनांक–01.01.1996 से तथा अधिसूचना संख्या–140(3) दिनांक–20.02.2007 द्वारा डा0 कृष्ण बल्लभ यादव को ही आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में दिनांक–01.03.1998 से प्रोन्नति अनुमान्य किया गया है। परन्तु विभागीय भूलवश डा0 झा के प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया और न ही इनके प्रोन्नति के लिए कोई पद सुरक्षित रखा गया।

क्रमशः

5– स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0–29(3) दिनांक–02.02.2005 एवं अधिसूचना संख्या–140(3) दिनांक–20.02.2007 द्वारा डा0 धीरेन्द्र नाथ झा से कनीय अनेक चिकित्सा पदाधिकारी को वेतनमान् 12000–16500/– रूपये में एवं वेतनमान 14300–18300/– रुपये में प्रोन्नति प्रदान किया गया है तथा अनेक चिकित्सा पदाधिकारी के प्रोन्नति के लिये पद सुरक्षित रखा गया है, जिसके कारण भूल सुधार करना अत्यंत कठिन है।

6– डा0 धीरेन्द्र नाथ झा की सेवाएँ संतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–1459(14) दिनांक–13.10.2000 द्वारा इन्हें नियमानुसार पूर्ण पेंशन/उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

7– विभागीय अधिसूचना संख्या–738(3) दिनांक–31.08.2007 द्वारा डा0 झा को 09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 भी प्रदान किया जा चुका है।

8– डा0 धीरेन्द्र नाथ झा को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में दिनांक–01.03.1998 के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक–22.02.2010 की बैठक में रखा गया था, जिसमें संचिका में समीक्षा करने का निर्देश दिया गया और कोई अनुशंसा नहीं किया गया।

9– विभागीय भूलवश डा0 झा के प्रोन्नति पर विचार नहीं करते हुए उनसे कनीय डा0 कृष्ण बल्लभ यादव को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/–रूपये एवं वेतनमान 14300–18300/– रूपये में प्रोन्नति का लाभ देने तथा डा0 झा के प्रोन्नति के लिए कोई पद सुरक्षित नहीं रहने के कारण डा0 झा को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/– रूपये एवं वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में प्रोन्नति प्रदान करने के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में छाया पद सृजन करने की आवश्यकता है।

10– तदनुसार डा0 धीरेन्द्र नाथ झा, सेवानिवृत्त अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, पटना को आवश्यकता आधारित पद के वेतनमान् 12000–16500/–रूपये में दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.01.1996 से 28.02.1998 तक 01 (एक) छाया पद एवं वेतनमान् 14300–18300/– रूपये में दिनांक–01.03.1998 के प्रभाव से प्रोन्नति के लिए दिनांक–01.03.1998 से 31.01.2000 (सेवानिवृत्ति) तक 01 (एक) छाया पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11– छाया पद सृजित होने पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0004–नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100004 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

12– राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से किया जाएगा।

13– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

14– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.09.2017 में मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

15– राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति गैर–सरकारी प्रेषण संख्या–4921 दिनांक–23.10.2017 द्वारा प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–18(प्रो0को0)/सू0–01–10/2015– 1293(1)/स्वा0, पटना, दिनांक– 20/11/2017

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 18(प्रो0को0) तथा संबंधित सहायकों को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/11/17

सरकार के संयुक्त सचिव